समाचार–प्रकाशनार्थ :–

जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन को नोटिस जारी

सीवरेज कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

रहवासी क्षेत्रों में 19 अप्रैल तक कार्य पूर्ण किये जाने के दिये निर्देश

रतलाम 15 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार 13 स्थानों पर सीवरेज कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सीवरेज कार्य स्थलों का निरीक्षण कम्पनी के इंजीनियरों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड द्वारा लॉकडाउन अवधि में 13 स्थानों पर सीवरेज का कार्य पूर्ण किये जाने की विशेष अनुमति दिये जाने के पश्चात भी कुछ स्थानों पर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने, अतिरिक्त मिट्टी हटाने, रोलिंग एवं वाटरिंग तथा रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्थलों का निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम साक्षी पेट्रोल पम्प से नया गांव राधा–कृष्ण मंदिर तक प्रारंभ किये सीवरेज कार्य का निरीक्षण सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी व पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के साथ कर कम्पनी के इंजीनियर को कार्य तेजी से किये जाने के निर्देश दिये ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके अलावा खुदाई कार्य के दौरान पेयजल पाईप लाईन, नल कनेक्शन व दूरसंचार की केबल क्षतिग्रस्त ना हो इसका विशेष ध्यान रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया।

इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटर कार्य का निरीक्षण करने पर अवगत कराया गया कि पाईप लाईन डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटर बिछाई जा रही सीवरेज लाईन कार्य का निरीक्षण किया जिसमें गेलड़ा नमकीन से घांस बाजार तक लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण पाये जाने पर कम्पनी के इंजीनियरों के साथ चमारिया नाका तक का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि वे इस कार्य को भी तेजी से कर 19 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करें इस दौरान उन्होने फुलमण्डी के पास चल रहे सीवरेज कार्य का भी निरीक्षण किया।

तोपखाना से चांदनी चौक तक चल रहे समतलीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रिस्टोरेशन कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश संबंधित को दिये। इसी तरह गौशाला रोड चौराहे पर भी रिस्टोरेशन कार्य किये जाने के निर्देश दिये। निगम आयुक्त श्री झारिया ने हाट की चौकी चौराहा से सुभाष नगर की सीवरेज लाईन जोड़ने के कार्य का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि हाट की चौकी चौराहा पर 200 एम.एम. डाया की 50 मीटर, आशीर्वाद नर्सिंग होम गली से हाट रोड पर पुलिस चौकी तक 200 एम.एम. डाया की 150 मीटर, भांभी मोहल्ले से गौशाला चौराहा तक 160 एम.एम. डाया की 50 मीटर, गेलड़ा नमकीन से चमारिया नाका तक 200 एम.एम. डाया की 700 मीटर, नागरिक विश्राम गृह से आरोग्य हॉस्पिटल तथा निगम तिराहे तक 160 एम.एम. डाया की 230 मीटर, सैलाना बस स्टैण्ड पर व्यास बैकरी से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक दोनो तरफ 160 एम.एम. डाया की 150 मीटर, द्वारका रेसीडेंसी से राम मंदिर तिराहा तक तथा

सनसिटी से अरिहंत कॉलेज तक (सैलाना रोड) 200 एम.एम. डाया की 2392 मीटर व सांवलिया बिल्डिंग मटेरियल टैंकर रोड से शनि मंदिर गली तक 160 एम.एम. डाया की 350 मीटर व पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा टांक के घर से साक्षी पेट्रोल पम्प तक 200 एम.एम. डाया की 120 मीटर पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

5 के स्थान पर 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन होगें

विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को किया बंद

रतलाम 15 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जायेगा यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जायेगा।

खुले में गंदगी करने पर वी.एस. मेडिकोस पर जुर्माना

रतलाम 13 अप्रैल । घांस बाजार क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निरीक्षण के दौरान खुले में कचरा पाये जाने पर वी.एस. मेडिकोस पर 500 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

नगर निगम द्वारा नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की जाती है कि वे अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें खुले में कचरा डाले जाने पर संबंधित के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी व इसकी पुनरावृत्ती होने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 15 अप्रैल। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 15 अप्रैल गुरूवार को सूरज हॉल, वेदव्यास कालोनी, काटजू नगर सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, गांधी नगर टीआईटी बिल्डिंग, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, ई–दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम–1949 के अन्तर्गत कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रतलाम नगर बनेगा नम्बर 1

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर–घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रतलाम 15 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरो, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक–पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक–पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक–पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग–अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा

के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रतलाम 15 अप्रैल। नगर निगम के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लिया है किन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचित है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षित रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि टीकाकरण में रूचि नहीं दिखा रहे है उनके विरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 15 अप्रैल **। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।**

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 अप्रैल **। स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 15 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 15 अप्रैल । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4

डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 15.04.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.